

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 24 X 7 सेवा के सुचारु संचालन हेतु विभागीय आदेश संख्या 47(5) दिनांक 03.06.2016 एवं 497(3) दिनांक 24.8.2016 के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति पटना स्थित दूरभाषीय अनुश्रवण कोषांग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों की उपस्थिति का रोस्टवार अनुश्रवण कोषांग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों की उपस्थिति का रोस्टवार अनुश्रवण के क्रम में कुल 14 चिकित्सक अनुपस्थित पाये गये थे। सभी चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसमें मात्र 2 चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिये गये थे। जिसमें 1 (एक) चिकित्सा पदाधिकारी, डा0 रिंकी बनफुल, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सरायरंजन, समस्तीपुर का स्पष्टीकरण संतोषजनक माना गया। शेष चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर नहीं समर्पित करना इस बात का द्योतक है कि उन्हें अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है। अतः अनुश्रवण के दौरान अद्योउल्लेखित अनुपस्थित पाये गये चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित लघु दंड अधिरोपित करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(क) अनुपस्थित तिथि के वेतन पर रोक। (उक्त तिथि की सेवा पेंशन प्रदायी होगी)

(ख) असंचयोत्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

क्र०सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1.	डा0 श्रुती प्रकाश	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, डुमराव, बक्सर
2.	डा0 ए0 बी0 सहाय	चिकित्सा पदाधिकारी	सदर अस्पताल, समस्तीपुर
3.	डा0 अरविन्द कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडल अस्पताल, दलसिंह सराय, समस्तीपुर
4.	डा0 धर्मशीला कुमारी	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, भगवानपुर, वैशाली
5.	डा0 प्रीति कुमारी	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, बरहरा, शोखपुर
6.	डा0 अनुपमा सहाय	चिकित्सा पदाधिकारी	रेफरल अस्पताल, नाथनगर, भागलपुर
7.	डा0 रौशन कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, पीपरिया, (मोहनपुर) लखीसराय
8.	डा0 शैलेन्द्र कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, मोहरा, गया
9.	डा0 उदय शंकर झा	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र, बरहर, बांका
10.	डा0 आशुतोष कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, डुमराव, बक्सर
11.	डा0 माला सिन्हा	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र अकबरपुर, नवादा
12.	डा0 आदर्श कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0स्वा0केन्द्र मोरवा, समस्तीपुर

उपरोक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/---

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

आपंक: 936(9)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 20/02/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/समस्तीपुर/वैशाली/भोजपुर/भागलपुर/लखीसराय/गया/बांका/नवादा/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन बक्सर/समस्तीपुर/वैशाली/भोजपुर/भागलपुर/लखीसराय/गया/बांका/नवादा/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 1,2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 (प्रो0 कोषांग) स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव